

**JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

"प्रभासि सशि सूर्ययोः"

Office: New Shed no. 3, Old Power House Premises, Near Ram Mandir,

Banipark, Jaipur- 302006. Email: caoia@jvvn.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvn

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F. 97 / D. 885

Jaipur, dated: - 05/07/21

Order

The Managing Director, JVVNL, is pleased to adopt the circular No. F.2(1) Finance/Rules/2008 dated 11.12.2020 (copy enclosed) issued by the Finance Department, GoR. All the Drawing a Disbursing Officers (DDO's) of the Nigam are hereby directed to ensure compliance of the directions issued by the Finance (Rules) Department, GoR vide above mentioned circular dated 11.12.2020.

By order,

(Dr. R.P.Gupta)

Chief Accounts Officer (IA)

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), JPD, _____
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer ()/ Dy. Director of Personnel (), JPD, _____
8. The Superintending Engineer (), JPD, _____
9. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____
11. T.A. to MD, JVVNL, Jaipur.
12. P.A to the Accountant General (Audit-II), O/o AG Rajasthan, Jaipur.
13. P.A to the Chairman & Managing Director (Discoms), Jaipur.
14. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Yeshwant Jonwal)

Asst. Accounts Officer (Rules)

Note: - Orders issued under JPD/Rules are also available on the website of Jaipur Discom.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक: प.2(1)वित्त/नियम/2008

जयपुर, दिनांक : 11 DEC 2020

परिपत्र

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स एवं निगम आदि, (State Autonomous Bodies etc. or SAB) जिन पर बोनस अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोनस भुगतान के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और जो राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार बोनस/एक्स-ग्रेसिया का भुगतान करते आ रहे हैं, के कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस की 75 प्रतिशत राशि, सामान्य प्रावधायी निधि योजना की भांति एक पृथक योजना में जमा कराने के निर्देश वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6(5)एफडी(रूल्स)/2009 दिनांक 10.11.2020 के क्लेरिफिकेशन बिन्दु संख्या (i) में दिये गये हैं। यह राशि राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11 (1) (ii) के अन्तर्गत जमा की जावेगी।

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स एवं निगम आदि, (State Autonomous Bodies etc. or SAB) के कार्मिक राज्य कर्मचारी नहीं हैं परन्तु इन कर्मचारियों को स्वैच्छा से राशि जमा कराने का अवसर देना उचित समझा गया है। अतः राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11(1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स एवं निगम आदि के कार्मिकों के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के अन्तर्गत एक नवीन योजना "सामान्य प्रावधायी निधि-सेब (जीपीएफ-सेब)" निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है:-

1. राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स एवं निगम के डीडीओ को एसआईपीएफ पोर्टल में रजिस्टर्ड किया जायेगा।
2. तत्पश्चात् उक्त कार्मिकों को संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल में वांछित सूचनाएं फीड करने पर सिस्टम जनरेटेड एक यूनिक आईडी - "एम्प्लॉई आईडी" आवंटित होगी। नये कार्मिकों को उनकी नियुक्ति उपरान्त सेवा में कार्यग्रहण करने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल में वांछित सूचनाएं फीड करने पर उक्त सिस्टम जनरेटेड एम्प्लॉई आईडी आवंटित होती है। इन कार्मिकों को आधार बेस्ड सिंगल साइन ऑन लॉगिन/पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
3. इन कार्मिकों को आधार बेस्ड सिंगल साइन ऑन लॉगिन/पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
4. जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स एवं निगम का कोष कार्यालय में पीडी खाता नहीं है, उनके आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा कर्मियों के बोनस की राशि का 75 प्रतिशत अंशदान ई-ग्रास के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के एसआईपीएफ पोर्टल पर निम्न बजट मद का उपयोग करते हुये जमा कराया जायेगा :

8009 - राज्य भविष्य निधि
01 - सिविल
101 - सामान्य भविष्य निधि
(04) - जी.पी.एफ.-सेब

5. जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स एवं निगम का कोष कार्यालय में पीडी खाता है, उनके आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा कर्मियों के बोनस की राशि के 75 प्रतिशत अंशदान की राशि उक्त बजट मद में जमा करायी जायेगी और राजकोष में उसके विवरण के अनुसार वेबसर्विस के माध्यम से एम्प्लॉई आईडी के आधार पर उक्त राशि संबंधित कार्मिक के खाते में क्रेडिट होगी।
6. एम्प्लॉई आईडी के आधार पर प्रथम बार राशि क्रेडिट होने पर एसआईपीएफ पोर्टल में "जीपीएफ-सेब" योजना हेतु सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आंशिक होगी, जो भविष्य में उक्त कार्मिक के द्वारा किये जाने वाले सभी ट्रान्जेक्शन्स के लिए उपयोग में ली जावेगी।
7. कार्मिक द्वारा Single Sign On के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल में उक्त खाते के लिए मनोनीत का विवरण E-Sign का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जावेगा।
8. उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले खातेदारों पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधानी निधि नियम, 1997 का नियम 11(1)(i) एवं इन नियमों के अन्तर्गत वे समस्त प्रावधान, जिनमें वेतन से अनिवार्य अभिदान / कटौती का उल्लेख है, लागू नहीं होंगे।
9. उक्त योजना के खातेदार अपने आहरण वितरण अधिकारी को एडवाइस प्रस्तुत कर इस योजना के खाते में एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से Online Deposit यूटिलिटी का उपयोग कर स्वैच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकेंगे।
10. उक्त योजना पेपरलेस व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित की जावेगी।
11. उक्त योजना के अन्तर्गत खातेदार को जमा राशि का लेजर देखने, आहरण प्राप्त करने एवं अन्तिम भुगतान की सभी कार्यवाही ऑनलाईन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
12. उक्त योजना में जमा की गयी राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि नियमों में उल्लेखित पद्धति के अन्तर्गत ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट की जायेगी।

(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा को 20 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

(एस. जे. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव

(GPF-02/2020)